

**ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की
एकजीक्यूटिव काउन्सिल की तीसरी मीटिंग दिनांक 15.4.2013 (सोमवार) की
कार्यवाही**

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की एकजीक्यूटिव काउन्सिल की तीसरी मीटिंग दिनांक 15.4.2013 (सोमवार) को डॉ० राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में सुबह 11:00 बजे वाइस चांसलर की सदारत में आहूत की गई। मीटिंग में शामिल होने वाले मा० सदस्यों की सूची निम्न है—

1	डॉ० अनीस अंसारी	कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदर
2	श्री सईदुर्रहमान आजमी	प्रिंसपल, नदवतुल उलमा, लखनऊ	मेम्बर
3	प्रो० नसीर अहमद खां	सीनियर एडवाइजर तथा कोऑर्डिनेटर, उर्दू प्रोग्राम, इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली।	मेम्बर
4	अनवर जलालपुरी	फ्लैट नं०-107, F-1, डिन्या अपार्टमेंट गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लाल कुआँ, लखनऊ।	मेम्बर
5	प्रो० (डॉ०) सीमा अल्वी	हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली।	मेम्बर
6	डॉ० ख्वाजा सैय्यद मोहम्मद यूनस	संस्थापक एवं प्रबन्धक, इरम एजुकेशनल सोसाइटी, इरम गर्ल्स डिग्री कालेज, सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	मेम्बर
7	डॉ० मोहम्मद रफीक	अलीगंज, बांदा, उ०प्र०।	मेम्बर
8	प्रो० सैयद ज़हीर हुसैन जाफरी	प्रो० एवं हेड इतिहास विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	मेम्बर
9	डॉ० मेराज अहमद	असोशियेट प्रोफेसर हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	मेम्बर
10	प्रो० शब्बीर अहमद	331/229K, मतीन पुरवा, पिक्निक स्पॉट रोड, खुर्रम नगर, लखनऊ। साबिक सदर अरबी डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।	मेम्बर
11	डॉ० चन्द्र विजय चतुर्वेदी	प्राचार्य (रिटायर्ड) 117 सी/7 मीरापुर (पटेल नगर) इलाहाबाद।	मेम्बर
12	श्री अशोक कुमार	रजिस्ट्रार, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	मेम्बर सेक्रेटरी
13	श्री एस०सी० संगल	वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	—
14	डॉ० जी०आर० यादव	ओ.एस.डी., ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	—

3.1 तारीख 21 सितम्बर को डा० राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ के मीटिंग हॉल में हुई एकजीक्यूटिव काउन्सिल की दूसरी मीटिंग में लिए गए फैसलों पर की गई कार्रवाई—

फैसला	कार्रवाई
1— हुकूमत के खत नं०-1477/सत्तर-4-2012-3(47) / 2010 तारीख 24 अगस्त 2012 के ज़रिए असातिज़ह (शिक्षकों) की 74 असाभियां मंजूर की गई हैं, जिनमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा हिन्दी, अंग्रेज़ी, होम साइंस, जुग़राफ़िया (भूगोल), सियासियात (राजनीति-शास्त्र), मआशियात (अर्थशास्त्र), तारीख़ (इतिहास), फ़िज़िकल एजुकेशन, कामर्स (वाणिज्य), मास कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिज़्म (जनसंचार और पत्रकारिता), कम्यूटर अप्लीकेशन, बी०एड० और एम०बी०ए० के लिए ओहदे मंजूर किये गये हैं। हुकूमत के मुताबिक़ फिलहाल पहले तालीमी साल के पहले साल में 50 फ़ीसद यानी प्रोफ़ेसर के 5 (उर्दू, अरबी, फ़ारसी, कामर्स और एम०बी०ए०), एसोसिएट प्रोफ़ेसर के 10 (उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, जुग़राफ़िया, सियासियात, कामर्स, बी०एड०, एम०बी०ए० तथा मास कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिज़्म) और असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर के 22 (उर्दू, अरबी, फ़ारसी, होम साइन्स, जुग़राफ़िया, मआशियात, इतिहास, फ़िज़िकल एजुकेशन, कामर्स, बी०एड०, एम०बी०ए०, मास कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिज़्म और कम्यूटर अप्लीकेशन) के ओहदों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है।	हुकूमत के हुक्मनामों के मुताबिक़ पहले तालीमी साल के लिये फिलहाल उर्दू, अरबी, फ़ारसी, कामर्स, सियासियात, अंग्रेज़ी, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इतिहास, फिज़िकल एजुकेशन के पद पर भर्ती के लिये इण्टरव्यू की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हिन्दी, बी०एड०, एम०बी०ए० और मास कम्युनिकेशन और सहाफत के इण्टरव्यू इसी महीने में होने की उम्मीद है। बाकी कोर्सेज़ जैसे आयुर्वेद और यूनानी, वोक्शनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कानून (3 साला (वर्षीय) और 5 साला कोर्स), सियाहत (Tourism) और हॉस्पिटैलिटी, फ़ासलाती (Distance) एजुकेशन एण्ड ई-लर्निंग, मुख्तलिफ़ हिन्दुस्तानी जबानों का तफ़ाबुली मुताला (तुलनात्मक अध्ययन), और उर्दू, अरबी और फ़ारसी में इन्टरप्रेटर और ट्रांसलेटर वगैरह के लिए हुकूमत से मज़ीद ओहदों की मंजूरी के लिये गुज़ारिश की जा रही है।
2— ये यूनिवर्सिटी उ०प्र० यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के तहत कायम की गई है। इस एक्ट की दफ़ा-7 में एक नई दफ़ा-7(ख) का इज़ाफ़ा किया गया है जिसमें यह इन्तेज़ाम किया गया है कि रियासती हुकूमत के ज़रिए नोटिफ़िकेशन के वसीले से बाइख़्तियार किए जाने पर यह यूनिवर्सिटी आला तालीम मोहय्या कराने वाले अक़लियती तालीमी इदारों को इल्हाक़ (सम्बद्धता), मदद और सहूलियतें देगी। इस दफ़ा को लागू करने के लिए यूनिवर्सिटी के ज़ाब्तों (Statutes) का ड्राफ़्ट हुकूमत के सामने पेश किया जा चुका है।	हुकूमत से उ०प्र० यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 की दफ़ा-7 (ख) के तहत इस सिलसिले की नोटिफ़िकेशन जारी करने की गुज़ारिश की जा चुकी है कि आला तालीम मुहय्या कराने वाली उर्दू, अरबी और फ़ारसी इदारों का इल्हाक़ (सम्बद्धता) करने, मदद और सहूलियतें देने के लिए इजाज़त दी जाए। (इस तअल्लुक़ से हुकूमत को तारीख़ 25 नवम्बर 2011, 26 मार्च 2012, 9 अगस्त 2012 वगैरह को ख़त भेजे जा चुके हैं)। अब चूँकि पढ़ाई शुरू होने जा रही है इसलिए फिर से हुकूमत से गुज़ारिश की जाएगी।

3- यूनिवर्सिटी में उर्दू, अरबी-फारसी और दूसरी ज़बानों की तालीम और रिसर्च के अलावा ऐसे कोर्स चलाए जाने का मसूबा है जिनके जरिए तालिब-इल्मों को तालीम देने के साथ-साथ बारोजगार बनाया जा सके। नये कोर्सेज जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, इन्फार्मेटिक्स साइंसेज, माहौलियात (पर्यावरण) और लाइफ साइंसेज वगैरह की पढ़ाई का भी इन्तेजाम किया जाए।	जैसा कि पैरा 1 में वाजेह किया गया है कि उर्दू, अरबी, फारसी के अलावा फिलहाल 16 मौजूआत (विषयों) पर पढ़ाई शुरू करने के लिए हुकूमत के जरिये असातिजह के ओहदे मंजूर किए गए हैं, जिन में हिन्दी, बी०एड०, एम०बी०ए० और मास कम्यूनिकेशन और सहाफत के इण्टरव्यू होना बाकी है। बाकी कोर्सेज जैसे आयुर्वेद और यूनानी, वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कानून (3 साला और 5 साला निसाब (कोर्स)), सियाहत (टूरिज्म) और हॉस्पिटैलिटी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, इन्फार्मेटिक्स साइंसेज, माहौलियात (पर्यावरण), लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग वगैरह पेशावाराना कोर्सेज के लिए असातिजह के ओहदे के लिये हुकूमत से दुबारा गुज़ारिश की जाएगी।
4- यूनिवर्सिटी में उर्दू, अरबी या फारसी के अलावा हिन्दुस्तानी ज़बानों की तकाबुली तालीम का स्कूल (School of Comparative Indian Literature) को अमेरिकी स्कूल की तर्ज पर कायम किया जाना मुनासिब होगा। स्कूल ऑफ उर्दू स्टडीज के तहत सेन्टर ऑफ कम्परेटिव इण्डियन लिट्रेचर कायम किया जाय जिसके तहत उर्दू और दूसरी हिन्दुस्तानी ज़बानों जैसे हिन्दी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, मराठी, बंगाली, मलयाली और संस्कृत वगैरह के साहित्य का कम्परेटिव मुताला शुरू किया जाए। स्पेनी, चीनी, जर्मन, फ्रांसीसी और जापानी ज़बानों के कोर्स भी शुरू किए जाएं।	हुकूमत से इन कोर्सेज को चलाने के लिए अलग से असातिजह के ओहदे मंजूर करने के लिये गुज़ारिश की जायेगी। अमेरिकी स्कूलों की तर्ज पर फैकल्टी की तश्कील के लिए भी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी। मौजूदा कानून में डिपार्टमेन्ट का तसब्बुर रखा गया है। ❖ उर्दू, हिन्दी, अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के तकाबुली मुताला का कोर्स जल्दी शुरू किया जायेगा। बकिया ज़बानों के कोर्स के लिये असातज़ा के ओहदों की मन्जूरी के लिये हुकूमत से गुज़ारिश की जायेगी।
5- जदीद (माडर्न) फारसी, अरबी और उर्दू की इत्नीनानबख्श पढ़ाई यकीनी बनाने के लिए इन ज़बानों के तलफ़्फुज़ सिखाने के लिए लिसानी (भाषायी) लेबोरेटरी कायम किया जाना ज़रूरी है।	❖ मा० सदस्यों को इस फैसले की कार्रवाई से अगली मीटिंग में बाख़बर किया जायेगा।
6- यूनिवर्सिटी में हिन्द-इस्लामी मख़्तूतात (पाण्डुलिपियों) की डिजिटल लाइब्रेरी कायम करने की तजवीज़ सही है। इसके जरिए रिसर्च करने वालों को इण्टरनेट के वसीले से मख़्तूतात की फ़ीस अदायगी की बुनियाद पर इस्तेमाल करने की सहूलियत मिल सकेगी। मख़्तूतात के तर्जुमें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी में कराए जाएं। इलाहाबाद में अरबी, फारसी के मख़्तूतात हैं, कई सौ साल पुरानी तस्वीरों के मख़्तूतात हैं, उनकी हिफ़ाज़त करना ज़रूरी है। उनका तर्जुमा भी उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी में होना चाहिये।	हिन्द-इस्लामी मख़्तूतात (पाण्डुलिपियों) की डिजिटल लाइब्रेरी कायम करने के लिए लाइब्रेरियन और दूसरे साज़ व सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर अलग से प्रोजेक्ट तैयार करने की ज़रूरत है और हुकूमत से लाइब्रेरियन और बुक लिफ्टर के ओहदे मंजूर हो गये हैं, इस पर जल्द कार्रवाई की जायेगी। इलाहाबाद के अलावा दूसरे मक़ामात में भी अरबी व फारसी आदि के मख़्तूतात मौजूद हैं, प्रोजेक्ट की मन्जूरी के लिये हुकूमत से को० 1 1 की जा रही है। मख़्तूतात की कटेलागिंग और हिफ़ाज़त के तरीके पर मा० कुलपति ने रामपुर और लखनऊ के लाइब्रेरीज़ का दौरा किया और 18 अप्रैल 2013 में मुम्बई के लाइब्रेरीज़ का दौरा होना

7- अभी यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 30 एकड़ जमीन है जो काफी नहीं है। हुकूमत ने 25 एकड़ जमीन और हासिल करने की तजवीज पर मंजूरी दे दी है। आला सतह पर लिए गए फैसले के मुताबिक वाइस चांसलर की कयादत में निर्माण निगम के आला अफसरों ने ग्रेटर नोएडा में जेरे तामीर गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के कैम्पस को 19 जुलाई, 2010 को मौके पर देखा। इन अफसरों का मशवरा है कि कम से कम 125 एकड़ जमीन और हासिल किया जाना जरूरी लगता है। इस पर हुकूमत की मंजूरी जल्द हासिल की जाए।	है। यू0पी0 हुकूमत ने यूनिवर्सिटी कैम्पस और सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड के बीच वाके (स्थित) तकरीबन 28.5 एकड़ प्राइवेट जमीन को हासिल (अधिग्रहण) करने और तकरीबन 2.2 एकड़ ग्राम सभा की जमीन को दुबारा वापस हासिल करने (पुनर्ग्रहण) की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के दूसरे जानिब तकरीबन 16.8 एकड़ सीलिंग की जमीन दोबारा हासिल (पुनर्ग्रहण) की जायेगी। यूनिवर्सिटी के दूसरी तरफ तकरीबन 120 एकड़ जमीन लखनऊ डेवलपमेन्ट अथॉरिटी के जरिये से मुस्तकविल की जरूरतों को हासिल करने की तजवीज हुकूमत में जेरे गौर है। ❖ तारीख 8 अप्रैल 2013 को डी0एम0 आफिस में यूनिवर्सिटी कैम्पस और सीतापुर-हरदोई रोड बाईपास के बीच वाकेअ लगभग 28 एकड़ प्राइवेट भूमि जमीन को दोबारा वापिस हासिल करने और लगभग 2 एकड़ ग्राम सभा की जमीन को Requisition करने के सिलसिले में मीटिंग हुई जिसमें स्पेशल लैण्ड एकुजीशन आफिसर ने बाख़बर किया कि जल्द ही जमीन Acquire और Requisition की कार्रवाई मुकम्मल की जायेगी।
8- यूनिवर्सिटी के ज़रिए ऐसे कोर्सज का इन्तखाब किया जाना बेहतर होगा जिनको पढ़ने के बाद तलबा को आसानी से बारोज़गार बनाया जा सके। इसलिए पेशावराना (Vocational) कार्सज़ को तरजीह दी जाएगी।	डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के असातिजह के ओहदे की मंजूरी की तजवीज हुकूमत को भेजी गयी थी। अभी असातिजह के ओहदे मंजूर नहीं हुए हैं। हुकूमत से दुबारा गुज़ारिश की जाएगी। इस बीच मंजूर ओहदों से वोकेशनल कोर्स चलाने के इम्कानात पर गौर किया जायेगा।
9- यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट/स्कूलों का आला लियाक़त के मरकज़ (Centre of Excellence) की शक्ल में कायम किया जाए और चलाया जाए। इसके लिए दूसरी आला दर्जे की यूनिवर्सिटियों से इश्तराक (Collaboration) कायम किया जाए।	इस पर तदरीसी (शिक्षकों)/गैर तदरीसी (शिक्षणेत्तर) ओहदों पर तक्रूरी (तैनाती) के बाद मुमकिन कार्रवाई की जाएगी।
10- यूनिवर्सिटी के ज़रिए इग्नू (Indira Gandhi National Open University) दिल्ली, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चेन्नई, की तरह ख़तोकिताबत के वसीले से मुरासलाती (पत्राचार) कोर्स और इन्टरनेट के ज़रिए ऑन लाइन पढ़ाई का इन्तज़ाम करना चाहिए। मुरासलाती और ऑन लाइन सिस्टम से उर्दू	मोरखा 23 मई 2011 को इग्नू के साथ MoU हो चुका है। तदरीसी/गैर तदरीसी ओहदों पर तक्रूरी होने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मोरखा 6 मार्च 2013 में IGNOU और इडब्ल्यू के वाइस चांसलरज़ की कोआर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग हुई जिसमें MoU के लागू करने के मसायल पर बात हुई और MoU को फिर से दोबारा ड्राफ्ट करने का फैसला हुआ।

अरबी और फारसी के नये पढ़ने वालों, जिन्होंने स्कूल की सतह पर ये जबाने नहीं पढ़ी है को भी इन जबानों को सीखने की सहूलियत मिल सकेगी।	
11- ये फैसला किया जा चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक और गेस्ट हाउस व वाइस चांसलर लाज का इतिहास मोहतरमा वजीर आला के मुबारक हाथों से कराया जाए।	लइब्रेरी और गेस्ट हाउस की तामीर मुकम्मल होने के बाद इस पर अमल किया जायेगा। एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और वी0सी0 लाज की तामीर जल्द कराने के लिए हुकूमत से रकम मंजूर कराने की कार्रवाई चल रही है।
12- सूबे में मदरसों के ज़रिए दसवीं और बारहवीं क्लास तक पढ़ाई अरबी, फारसी या उर्दू के बसीले से कराई जा रही है। मदरसों के इन कोर्सज़ को उ0प्र0 हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड या सी0बी0एस0सी0 / आई0सी0एस0सी0 के ज़रिए तसलीम नहीं किया गया है। इसके सबब मदारिस के 10+2 की तालीम पाने वाले तलबा को डिग्री सतह की पढ़ाई करने के लिये बहुत महदूद रास्ते मिल पाते हैं। ऐसे तलबा को आम डिग्री कोर्सज़ की पढ़ाई करने की सहूलियत देने के लिए एक साल ब्रिज कोर्स की शुरुआत की जानी चाहिए जिनमें उन मज़मूनों की पढ़ाई करायी जाए जो मदारिस में कोर्स में शामिल नहीं थे। ब्रिज कोर्स पास करने के बाद मदारिस के 10+2 सर्टिफिकेट को आगे की पढ़ाई के लिए तसलीम किया जाए। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि मदरसे के 10+2 पास करने वाले तलबा को डिग्री सतह की पढ़ाई मुहैया कराने के लिए ऐसा दाखिला टेस्ट शुरू किया जाए जिसमें सभी ज़रूरी मज़ामीन शामिल हों। दाखिला टेस्ट पास करने वाले मदारिस के 10+2 वाले तलबा को डिग्री सतह की कोर्सज़ में दाखिला के लायक तसलीम कर लिया जाए।	मदारिस के 10+2 पास तालिबइल्मों के लिए ब्रिज कोर्स और दाखिला टेस्ट की शुरुआत तदरीसी और गैर तदरीसी ओहदों की तक्क़री के बाद की जा सकेगी। चूंकि अभी तदरीसी ओहदों पर भर्ती के कार्रवाई चल रही है और इस सिम्त में यकीनी तौर पर कार्रवाई की कोशिश की जायेगी।
13- उर्दू, अरबी और फारसी ज़बान को बढ़ावा देने के लिए असातिजह और दूसरे स्टाफ के इन्तिखाब में उर्दू, अरबी या फारसी और कम्प्यूटर का इल्म रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह देने की तजवीज़ मंजूरी के लिए मुअज़्ज़िज़ मेमबरान के सामने पेश है, चूंकि ये यूनिवर्सिटी उर्दू, अरबी और फारसी की तहज़ीब को बढ़ावा देने के लिये कायम की गई है और साथ में रोज़गार के कोर्सज़ को अव्वलियत देना भी ज़रूरी है, इसलिए तजवीज़ है कि तालीम और इम्तिहान के बसीले अंग्रेज़ी में हों लेकिन जो	यूनिवर्सिटी के स्टेड्यूट्स में उर्दू, अरबी या फारसी और कम्प्यूटर का इल्म रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह देने की तजवीज़ को शामिल करने के लिये हुकूमत को खत भेजा जा चुका है।

तलबा या तालिबात किसी मजमून को उर्दू में पढ़ना चाहें या बजरिया उर्दू इम्तिहान देना चाहें उसका भी माकूल इन्तेजाम किया जाये।	
---	--

(ख) एग्जीक्यूटिव काउन्सिल के ज़रिये तारीख 21 सितम्बर 2012 में दिये गये मशवरो और तजवीज़ों पर यूनिवर्सिटी के ज़रिये की गई कार्रवाई—

(1) डा० चन्द्र विजय चतुर्वेदी के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
लॉ का 5 साल का कोर्स ठीक है।	कानून फ़ैकल्टी के लिये ओहदे मन्जूर होने के बाद कार्रवाई हो सकेगी।
नये इल्हाक के दायरे को बढ़ा कर हिन्दुस्तान कर दें।	मौजूदा एक्ट में सिर्फ ३०५० तक दायरा कार्र महदूद है।
जो अक़लियती इदारे पहले से कायम हो चुके हैं उनके इल्हाक पर फ़ौरन तवज्जो दी जाये।	हुकूमत की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ग़ौर किया जायेगा।
नये डिग्री कालेजों के इल्हाक के लिये ज़मानत की रकम, ज़मीन और बिल्डिंग के मेयार (मापदंड) को कम किया जाये।	स्टेट्यूट्स में शामिल किया गया है जो हुकूमती सतह पर काबिले ग़ौर है।
हुकूमते हिन्द ने अक़लियती इदारों के लिये माली इमदाद का पैकेज मन्जूर किया है, उस से मदद ली जाये।	इस सिलसिले में तदरीसी अमला आने के बाद एक लायह ए अमल तैयार किया जायेगा ताकि मुस्बत क़दम उठाया जा सके।
स्कूलों और मदरसों को माडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। उनको मदद और पैकेज देने की ज़रूरत है।	हुकूमत से ३०५० यूनिवर्सिटी एक्ट १९७३ की दफ़ा-७ (ख) के तहत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(2) प्रो० मोहम्मद मियां के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 6 माह का फ़ासलाती (पत्राचार) कोर्स चल रहा है। उस का तसलसुल (निरंतर) कायम करने पर ग़ौर कर लिया जाये।	फ़ासलाती कोर्स शुरू करते वक़्त इस पर ग़ौर किया जायेगा।
पेशावराना कोर्स को तरजीह देना सही है लेकिन 5 साल का कोर्स फ़ौरन शुरू न करें।	नोट किया गया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मसावी कमेटी (Equivalence Committee) बना ली जाये जो तय करे कि कौन से मदरसों के कोर्स यूनिवर्सिटी के ज़रिये तसलीम (मान्य) किये जायें।	अमल किया जायेगा।
पहले स्ट्रक्चर सोच लें। स्कूल, डिपार्टमेन्ट, सेन्टर का स्ट्रक्चर कायम करना वग़ैरह।	यूनिवर्सिटी का स्टेट्यूट (Statute) हुकूमत में मंजूरी के लिए ज़ेरे ग़ौर है।
३०५० में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कम होती जा रही है। इस यूनिवर्सिटी से वलवला (जोश) पैदा होगा।	नोट किया गया।
ब्रिज कोर्स खुद कराये, आउट सोर्स न कराये।	नोट किया गया।
डायरेक्ट्रेट ऑफ़ डिस्टेन्स एजुकेशन बनायें।	एजेण्डा प्वाइंट ३.१ के पैरा-१० में शामिल कर लिया गया है।

(3) श्री बदी नारायण के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरे	कार्रवाई
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन से तबकों की शुमूलियत (समावेश) का मुताला (अध्ययन) करने पर ग्रांट मिल सकती है।	तालीमी-साल शुरू होने के बाद इस नुक्ता पर कार्रवाई की जाएगी।
गैर लिसानी या गैर भाषाई हाशिये पर पड़े तबकात का मुताला भी शामिल किया जाये।	मुअज़्ज़िज़ मेम्बर की कीमती राय नोट की गई है। जिस पर मुस्तक़बिल में मुमकिन कार्रवाई की जाएगी।
मगरिबी मुमालिक (पश्चिमी देशों) की यूनिवर्सिटी से भी इश्तराफ़ कायम किया जाये।	मुस्तक़बिल में मुमकिन कोशिश जाएगी।
यू0जी0सी0, तसव्वुरात (परिकल्पना) और तकनीक पर मौजूआती (विषयगत) वर्कशाप कराई जाये।	मुस्तक़बिल में मुमकिन कोशिश जाएगी।
मारजिनेलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़बानें मारजिन पर हैं उन्हें सपोर्ट करें।	नोट किया गया।
नोमैडिक्स (खनाबदोश) को भी जोड़ सकते हैं।	नोट किया गया।
पब्लिकेशन भी हो।	नोट किया गया।
लिसानियात एक बड़े कार्पोरेट की शक्ल ले रहा है। मिडिल ईस्ट और जहां उर्दू, अरबी, फ़ारसी पर काम हो रहा है उससे जुड़े।	मुअज़्ज़िज़ मेम्बर की कीमती राय नोट की गई है। जिस पर मुस्तक़बिल में मुमकिन कार्रवाई की जाएगी।
वर्कशाप हो।	नोट किया गया।

(4) प्रो0 नसीर अहमद खां के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरे	कार्रवाई
अदब की ज़रूरत नहीं है। इसके लिये बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं। ज़बान पर तवज्जुह देने की ज़रूरत है।	नोट किया गया।
तहकीक़ पर मबनी (शोध आधारित) ज़बान की तरक्की का कोर्स ज़रूर शामिल किया जाये।	मुअज़्ज़िज़ मेम्बर की कीमती राय नोट की गई है, जिस पर अगले मरहले में मुमकिन कार्रवाई की जाएगी।
उर्दू को इस क़ाबिल बनाया जाये जो तमाम चीज़े झेल सके।	हुकूमत ने यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ भाब ए उर्दू के लिये 14 असातियां मन्ज़ूर की हैं, इन असातिज़ा से इस सिलसिले में काम लिया जायेगा।
क़लील मुद्दती (अल्पकालीन) कोर्सेज शुरू किए जाएं।	पढ़ाई शुरू होने पर इस मशवरे पर अमल किया जाएगा।
ज़बान की तरक्की के लिए रिसर्च की सतह पर कोर्स शुरू किए जाएं।	अगले चरण में इस पर कार्रवाई की जायेगी।
मदरसे के तालिबइल्मों के लिए उर्दू कोर्स (6 माह का) भी शुरू किया जा सकता है। साढ़े चार साल में मदरसे के तालिबइल्म डिग्री हासिल कर सकते हैं।	पढ़ाई शुरू होने पर इस मशवरे पर अमल किया जाएगा।
ख़त्ताती (कैलीग्राफी) का फ़न ख़त्म हो रहा है। तुग़रा नवीसी का फ़न ख़त्म है। वो हमारा सक़ाफ़ती सरमाया है। गोल्डेन ट्रेज़र को ज़ाया न	इस कोर्स को शुरू करने के लिए हुकूमत से गुज़ारिश की जाएगी।

होने दें। इसके लिए एक कोर्स करें जिससे ये फन जिन्दा रह सकें।	
लाखों किताबें पड़ी हैं जिनमें दीमक लग रही है। यूनेस्को से माली इमदाद ली जा सकती है।	मुअज्जिज मेम्बर की कीमती राय नोट की गई है। यूनिवर्सिटी स्टाफ की भर्ती होने पर इस मशवरे पर अमल किया जाएगा।
सोशल कल्चरल इन्स्टीट्यूशन जैसे मुशायरा, दास्तानगोई वगैरा को बचाने की ज़रूरत है। इनके ज़रिए उर्दू का फ़रोग हुआ है।	नोट किया गया।
उर्दू रस्मे खत सिखने की ज़रूरत है।	नोट किया गया।

(5) निहाल रिज़वी के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
यहां के तालिब इल्म बाहर जाकर रोज़गार से जुड़ें।	नोट किया गया।
लैब में स्टडी करना अलग है, मौके पर जाकर स्टडी करना अलग है।	नोट किया गया।
उर्दू, अरबी, फ़ारसी के एक एक माहिर ईरान, जामिया अज़हर, जामिया मदीना मुनव्वरा जाकर मौके पर देखें।	नोट किया गया।

(6) प्रो० अब्दुल वदूद अज़हर के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
स्पेनिश को ज़रूर रखें। इसका बहुत बड़ा मार्केट है। चीनी, जापानी भी शामिल की जाए।	नोट किया गया।
फ़ारसी सबसे ज़्यादा सेक्यूलर ज़बान है। हिन्दुस्तान का जितना भी तआरूफ़ फ़ारसी से हुआ वो किसी और ज़बान से नहीं हुआ। कोई हिन्दू ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसका तरजुमा फ़ारसी में नहीं है।	नोट किया गया।
मदरसे के तालिब इल्मों ज़बान की महारत के लिए चुना जा सकता है।	नोट किया गया।
मार्डन लैंग्वेज की पढ़ाई कम से कम 5 साल करने के बाद दीनियात वगैरा पढ़ाएं।	एकेडमिक काउन्सिल फैसला कर सकेगी।
इन्दिरा गांधी आर्ट एण्ड कल्चर सेन्टर में मिशन फ़ार प्रिज़र्वेशन आफ़ परशियन लैंग्वेज है।	नोट किया गया।
ईरानी एम्बेसी के मरकज़ नूर में 25000 मख़्तूतात जो हिन्दुस्तान में मौजूद हैं उनकी माइक्रोफ़िल्म बनाई गई है।	MoU के लिए मरकज़ी हुकूमत से गुज़ारिश की गई है।
वस्त (मध्य) एशियाई मुमालिक भी फ़ारसी का इस्तेमाल करते हैं।	नोट किया गया।
ईरान हर तरह मदद करेगा। असातिज़ा (शिक्षक), किताबें, वजीफ़े वगैरा भी मुहैया कराएगा।	अमल किया जायेगा।
मदरसे के लिए सेल बनाया जाए। हर मदरसे के बारे में जानकारी ली जाए और मदद की जाए।	एजेण्डा प्वाइंट 3.1 के पैरा-2 में शामिल कर लिया गया है।
तकाबुली अदब ज़रूरी है।	अमल किया जायेगा।

(7) डा0 मो0 रफीक के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
यूनिवर्सिटी का लोगो हो।	अमल किया जायेगा।
मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाये।	नोट किया गया।
पेशावराना कोर्सेज को तरजीह दें।	एजेण्डा प्वाइंट 3.1 के पैरा-8 में शामिल कर लिया गया है।
बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में कम कोर्स शुरू करें।	फिलहाल हुकूमत ने 16 मजामीन के लिये तदरीसी ओहदे मन्जूर किये हैं, जिसकी कार्रवाई चल रही है।
शुरू में सहाफ़त, तरजुमा वगैरा रखें।	मुअज्ज़ज़ मेम्बर की कीमती राय नोट की गई।

(8) प्रो0 शब्बीर अहमद के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
सियाहत को जोड़ा जाये जो मैनेजमेन्ट से जुड़ा है।	अगले मरहले में इस डिपार्टमेन्ट की तशकील की कोशिश की जायेगी।
डिजिटल लाइब्रेरी के साथ बी0एल0आई0एस0सी0, एम0एल0आई0एस0सी0 को कोर्स में जोड़ा जाये।	इस पर कार्रवाई की जायेगी।
यूनिवर्सिटी कोर्सेस के साथ साथ बी0एड0 कोर्स चलाने को मदद नज़र रखा जाये।	हुकूमत ने बी0एड0 के लिये 6 ओहदे मन्जूर किये हैं।
अरबी, फ़ारसी की तदरीस (शिक्षण) की ट्रेनिंग ज़रूरी है।	नोट किया गया।
कालेज और बी0ए0 की सतह पर फ़ारसी, अरबी के अच्छे तालिब इल्म नहीं मिलते। यूनिवर्सिटी की सतह पर मिल सकते हैं।	नोट किया गया।
अरबी, फ़ारसी के डिपलोमा, सर्टिफिकेट कोर्स चलाये जायें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तर्ज पर।	अध्यापकों की भर्ती होने के बाद इस मशवरे पर गौर किया जाएगा।
अरब कल्चर में बी0ए0, एम0ए0 हो।	नोट किया गया।
मैनेजमेन्ट और कामर्स के साथ एक साल का अरबी बोलचाल का डिपलोमा हो।	नोट किया गया।

(9) अनवर जलालपुरी के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न हैं—

मशवरह	कार्रवाई
मदरसे के तालिब इल्म के विज़न में फ़ैलाव नहीं होता। बी0ए0 में मदरसे के तालिब इल्म को दाख़िला मिलना चाहिए।	नोट किया गया।
सम्पूर्णनन्द यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के निसाब (पाठ्यक्रम) को देख लिया जाए।	नोट किया गया।

(10) डा0 मेराज अहमद के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न है—

मशवरे	कार्रवाई
अकलियती इन्टर कालेज को प्रमोट करना चाहिए।	नोट किया गया।
अकलियत की तालीम का दायरा बसी किया जाए जिस के लिए यूनिवर्सिटी ऐसे इंस्टीट्यूट को तलाश करे और उनसे कहें कि आला तालीम को प्रमोट करे।	मुअज़्ज़िज़ मेम्बर की कीमती राय नोट की गई है। हुकूमत के नाटिफिकेशन जारी होने के बाद इस मशवरे पर अमल किया जाएगा।
जिन कालेजों में ग्रेजुएट कोर्स चल रहे हैं उनको आगे बसा करना है इस पर रहबरी की जाए।	पढ़ाई शुरू होने पर इस मशवरे पर अमल किया जाएगा।
देही इलाकों में मुरासलाती कोर्स को साथ लेकर चलना चाहिए।	मुअज़्ज़िज़ मेम्बर की कीमती राय नोट की गई है।

(11) डा0 मजहर हुसैन के ज़रिये दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न है—

मशवरे	कार्रवाई
कोर्सेज क्लील मुददती हों।	नोट किया गया।
लैंग्वेज कोर्सेज में ऐसे कोर्स भी डिज़ाइन किए जाएं जो गैर उर्दूदां के लिए हों।	नोट किया गया।
टेक्निकल कोर्सेज के बारे में तय करना है कि अभी करना है या बाद में।	नोट किया गया।

(12) प्रो0 सै0 ज़हीर हुसैन जाफ़री के ज़रिए दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई निम्न है—

मशवरे	कार्रवाई
एक 5 साल का इन्टीग्रेटेड कोर्स ऐसा हो जो बर्र सगीर हिन्द के स्कालरों के ज़रिए (अरबी में) मजहब, कानून, अदब और एथिक्स (एख्लाकियात) पर किए गए काम पर मरकूज़ हो।	नोट किया गया।

3.2 एकजीक्यूटिव काउन्सिल की जानिब से नये कुलपति के नाम को पेश करने वाली सर्च कमेटी के लिये एक मेम्बर की नामजदगी।

मा० सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रो० मो० सलाउद्दीन उमरी, पूर्व विभागाध्यक्ष अरबी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़ को नामजद किया गया।

3.3 अध्यापकों की भर्ती के लिये सेलेक्शन कमेटी के ज़रिये इण्टरव्यू में मुनतख़िब उम्मीदवारों की तक़रूरी की मंजूरी।

सेलेक्शन कमेटी द्वारा संस्तुत नामों का अनुमोदन कार्यपरिषद द्वारा किया गया। विवरण निम्नवत है—

क्र. सं.	साक्षात्कार का दिनांक	विषय	पदनाम	श्रेणी	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	4.2.2013	फ़ारसी	प्रवक्ता	सा०	डॉ० मो० जावेद अख़्तर पुत्र प्रो० ईद मो० अंसारी	डॉ० आरिफ़ हसनैन खान पुत्र स्व० श्री ज़फ़रुल हसन खान
2	6.2.2013	अर्थशास्त्र	प्रवक्ता	अ.जा.	कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया	—
3	11.2.2013	कम्प्यूटर अप्लीकेशन	प्रवक्ता	सा०	डॉ० अल्का पत्नी श्री रितुल अग्रवाल	डॉ० संतोष के. पाण्डेय पुत्र श्री आर०पी० पाण्डेय
			प्रवक्ता	अपिव	डॉ० मज़हर ख़लिक पुत्र श्री अब्दुल ख़लिक	—
4	26.2.2013	शारीरिक शिक्षा	प्रवक्ता	अपिव	डॉ० मो० शारिक पुत्र श्री शरीफ़ अहमद	डॉ० कृष्णकांत पुत्र श्री आर. यन. यादव
5	28.2.2013	वाणिज्य	आचार्य	सा०	डॉ० माहरुख़ मिर्ज़ा पुत्र स्व० श्री कमर हुसैन	—
			उपाचार्य	अपिव	डॉ० ऐहतेशाम अहमद पुत्र श्री मुमताज अहमद	—
			प्रवक्ता	सा०	डा० नीरज शुक्ला पुत्र श्री कुमुद कृष्णा शुक्ला	डॉ० संजय कुमार जोयल पुत्र श्री सेसिल नोरिस जोयल
			प्रवक्ता	अ.जा.	कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया	—
6	11.3.2013 से 15.3.2013	उर्दू	आचार्य	सा०	डॉ० तलत हुसैन नक्वी पुत्र श्री सैयद साबिर हुसैन नक्वी	डॉ० सैयद शफीक अहमद अशरफी पुत्र श्री सैयद मंज़ूर अहमद अशरफी
			उपाचार्य	सा०	डॉ० फख़रे आलम पुत्र श्री नूरुल हुदा	डॉ० अब्दुल हफीज़ पुत्र श्री नसीम अहमद
			उपाचार्य	अपिव	डॉ० सौबान सईद पुत्र शफीकुर्रहमान	डॉ० सीमा शाह पत्नी अख़्तर अली
			प्रवक्ता	सा०	1. डॉ० मुर्तज़ा अली अतहर पुत्र श्री ज़हीरुद्दीन अकबर 2. डॉ० मो० अकमल पुत्र स्व० श्री मो० अकरम	1. डॉ० फख़रे आलम पुत्र श्री नूरुल हुदा 2. डॉ० अलाउद्दीन खान पुत्र श्री नसीरुद्दीन खान 3. सईद अहमद पुत्र श्री अबुल कलाम
			प्रवक्ता	अपिव	डॉ० वसी अहमद आजम अंसारी पुत्र श्री हबीबुर्रहमान	1. ख़लीक़ुज़्ज़मा पुत्र श्री मज़हरुल हक़

			प्रवक्ता	अ.जा.	डॉ० संजय कुमार पुत्र श्री राम लखन	2. डॉ० तनवीर अहमद पुत्र श्री वसीमुल्लाह
7	18.3.2013	भूगोल	प्रवक्ता	सा०	डॉ० राबीना बानो पुत्री श्री एम.ए. अंसारी	श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री इन्द्रजीत 1. डॉ० सैयद कोसर शमीम पुत्र श्री मो० शमीम 2. श्री तराबुर हुसैन जैदी पुत्र श्री तजमुल हुसैन जैदी
			रीडर	अपिव	कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया	-
8	22.3.2013	अंग्रेजी	उपाचार्य	सा०	डॉ० तनवीर खदीजा पत्नी श्री अल्ताफ हुसैन	-
9	2.4.2013	गृह विज्ञान	प्रवक्ता	सा०	कु० प्रियंका पुत्री श्री चंदन सूर्यवंशी	कु० स्मिता गौतम पुत्री डॉ० सतीश कुमार गौतम
			प्रवक्ता	अपिव	कु० ततहीर फात्मा पुत्र श्री जैनुल आब्दीन	कु० पूजा वर्मा पुत्री श्री अरविन्द वर्मा
10	5.4.2013	इतिहास	प्रवक्ता	अ.जा.	डॉ० पूनम पत्नी डॉ० अजय कुमार चौधरी	कुमारी प्रीति सिंह पुत्री श्री पी०सी० प्रसाद
11	7.4.2013 से 8.4.2013	अरबी	आचार्य	सा०	डॉ० मसूद आलम पुत्र स्व० श्री अब्दुल जलील	-
			प्रवक्ता	सा०	डॉ० अब्दुल हफीज पुत्र श्री मो० ईसा खान	डॉ० जर निगार पुत्री श्री अब्दुल अहद खान

3.4 युनिवर्सिटी की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मंजूरी:-

कार्यपरिषद द्वारा शासन को पूर्व प्रेषित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी गई।

3.5 दीगर निकात सदरे मोहतरम की इजाजत से-

तारीख 15 अप्रैल 2013 को एकजीक्यूटिव काउन्सिल की तीसरी मीटिंग में मुअज्जिज मेम्बरान के जरिये दिये गये मशवरे

प्रो० नसीर अहमद खान के जरिये दिया गया मशवरह-

उर्दू अरबी और फ़ारसी ज़बानों की तरक्की के लिये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम किया जाये ताकि इन ज़बानों की तालीम को लिसानियात के जदीद उसूलों की मदद से फ़रोग दिया जाये।	✓
---	---

प्रो० सैयद जहीर जाफ़री के मशवरे-

इस यूनिवर्सिटी के मुनासबत से मदारिस के तलबा के लिये इन्टीग्रेट कोर्स चलाया जाये। इसी से मुतअल्लिक एक और मसअला मदारिस के सर्टिफिकेट और असनाद के तस्लीम करने का है। इस सिलसिले में हिन्दुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटियों जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली और जवाहर लाल नेहरु	
---	--

यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के तस्लीम करने के तरीके को नमूना बनाकर इस सिम्त में पेश कदमी की जाये।
मदारिस के तलबा के लिये एक ऐसा पांच साला कोर्स तैयार किया जाये जिस की मदद से मदारिस की असनाद को दूसरे असनाद के बराबर/मसावी बनाया जा सके।

डा० चन्द विजय चतुर्वेदी की जानिब से दिये गये मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई:

उत्तर प्रदेश के जो कालेज हैं वहां ग्रेजुएशन की सतह पर उर्दू तालीम का इन्तिजाम नहीं है। सिताम जरीफी यह है कि मौजूदा वक़्त में स्कूल की सतह पर भी उर्दू मुश्किल दौर से गुज़र रही है। इस लिये संजीव महाविद्यालय की तर्ज़ पर बी०ए० पास सभी तलबा एक सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट कोर्स करें।
मदारिस के तलबा को अंग्रेज़ी लाज़मी तौर पर पढ़ाई जाये। इस सिलसिले में दो किस्म के ब्रिज कोर्स चलाये जा सकते हैं। जो तलबा उर्दू, अरबी, फ़ारसी बैक ग्राउन्ड से आते हैं उन्हें अंग्रेज़ी मज़मून की तालीम दी जाये और जो तलबा हिन्दी या अंग्रेज़ी स्कूलों से तालीम हासिल करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं उनके लिये उर्दू को लाज़मी किया जाये।
डा० चतुर्वेदी ने मुत्तला किया कि एकज़ीक्यूटिव काउन्सिल ने यह फैसला किया है कि किसी खास मौक़े पर यूनिवर्सिटी टीचर्स की तक़्रूरी करने का हक़ रखती है।

श्री अनवर जलालपुरी का मशवरह—

उ०प्र० मदरसा एजुकेशन बोर्ड को सिर्फ़ सर्टिफिकेट देने का हक़ हासिल है, इसलिये यूनिवर्सिटी को चाहिये कि वह कामिल व फ़ज़िल के असनाद को बित्तरतीब बी०ए० और एम०ए० के मसावी तसलीम करते हुये उन्हें डिग्री का दर्जा तफ़वीज़ करे।

डा० ख़्वाजा मोहम्मद यूनुस के मशवरे और उन पर की गई कार्रवाई—

इस यूनिवर्सिटी को भी सम्पूर्णानन्द यूनिवर्सिटी, वाराणसी, की तर्ज़ पर यह अख्तियार दिया जाये कि इस यूनिवर्सिटी के मदारिस का इल्हाक़ खुद बख़ुद हो जाये।

प्र० शब्बीर अहमद का मशवरा और उन पर की गई कार्रवाई—

मदारिस के इल्हाक़ की तजवीज़ को एकेडमिक काउन्सिल में पेश किया जाना चाहिये।